

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(28)राज/वाद/24 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक : 24/7/2026

:: आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह चन्द्रावत, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/2180/2007) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या 1, जयपुर जिला में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, संख्या 1, जयपुर जिला के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

नोट:- उक्त अधिवक्ता की नियुक्ति माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में विचाराधीन एस0बी0सिविल रिट पिटीशन सं0 10935/2025 रामलाल भामू बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।

आज्ञा से

हो

(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 14 रक्षित पत्रावली।

प्रमोद कुमार
शासन सचिव, विधि